FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** ई ओ डब्लू **P.S. (थाना):** ईओडब्ल्यू

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0144 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 09/10/2025 13:42 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	120-B
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	467
4	भा दं सं 1860	468
5	भा दं सं 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 01/01/2017
Date To (दिनांक तक): 30/03/2023
Time Period (समय अवधि):
Time From (समय से): 00:00 बजे
Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/10/2025
Time (समय): 12:19 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003
Date & Time (दिनांक और समय): 09/10/2025 13:42

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** दक्षिण, 03 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) **Address (पता):** भोपाल मप्र

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
   Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name (नाम):** श्री अतुल उपु अधीक्षक कावा
   (b) **Father's Name (पिता का नाम) :** श्री आर के चौबे
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 09/05/1974 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
   (e) **UID No. (यूआईडी सं०):**
   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं०):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	42, अरेरा हिल्स,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	42, अरेरा हिल्स,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश, भारत

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**
   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):**
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-9425600925

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	दिलीप कुमार गुप्ता /		पिता का नाम : रामसजीवन गुप्ता	1. निवासी- 6-7 परिका सोसायटी, ,फेस-2, चूना भट्टी ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश,भारत

2	दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी /			1. डीजी मिनरल्स प्रा लि द्वारा, निदेशक ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश,भारत

3	दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी श्री मां सीमेंटेक प्रा लि /			1. पता- एमपी नगर, भोपाल द्वारा, निदेशक,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश,भारत

4	अन्य /			1. भोपाल,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। आज दिनांक 09.10.2025 को श्री अतुल चौबे, उ.पु.अ(का.वा.),, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई भोपाल द्वारा टाईपशुदा एवं हस्ताक्षरित शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 00/2025, धारा- 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि इकाई भोपाल से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट की नकल निम्नानुसार है:-शून्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)1थानाआर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)2अपराध क्रमांक एवं धाराअप. क्र. 00/2025, धारा- 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि3घटना स्थल भोपाल म.प्र.।4घटना का दिनांक व समय01.01.2017 से 30.03.2023 5सूचना दिनांक व समयदिनांक 23.09.2024 शिकायत जाँच क्र. 218/246सूचना प्राप्त होने का स्थान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, कार्यालय भोपाल (म.प्र.)7देहाती नालसी लेख करने का दिनांक03.10.2025 8सूचनाकर्ताश्री अतुल चौबे, उ.पु.अ (का.वा.) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई, भोपाल (म.प्र.)9थाने से घटनास्थल की दिशा एवं दूरीलगभग 03 कि.मी. दक्षिण दिषा में|10नाम आरोपीगण(1) दिलीप कुमार गुप्ता पिता रामसजीवन गुप्ता निवासी- 6-7

परिका सोसायटी, फेस-2, चूना भट्टी भोपाल (2) दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी- डीजी मिनरल्स प्रा. लि. (द्वारा निदेशक) (3) दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी- श्री मां सीमेंटेक प्रा. लि. पता- एम.पी. नगर, भोपाल (द्वारा निदेशक) एवं (4) अन्य विवरणमैं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई भोपाल में उ.पु.अ. (का.वा.) के पद पर पदस्थ हू| शिकायतकर्ता, द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दी गई शिकायत क्रमांक 218/24 दिनांक 23.09.2024 को पंजीबद्ध की गई थी|शिकायतकर्ता श्री विनीत जैन पिता स्व. श्री धन्य कुमार जैन निवासी- पूर्व पता- म.न.- 44, फेस-1, गोल्डन सिटी, जाटखेड़ी, भोपाल एवं वर्तमान पता- म.न.- 19, गोल्डन सिटी प्रिमा, जाटखेड़ी, भोपाल के द्वारा लिखित शिकायत दिनांक 13.09.2024 को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में प्रस्तुत की गई थी| शिकायत में शिकायतकर्ता के द्वारा अनावेदक दिलीप कुमार गुप्ता के विरूद्ध धोखाधड़ी किये जाने संबंधी आरोप लगाये गये थे, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी कंपनियों क्रमश: मेसर्स डीजी मिनरल्स प्रा. लि. एवं मेसर्स श्री मां सीमेंटेक प्रा. लि. में निवेश के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपया बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त कर लिये थे एवं निवेशित राशि व लाभांश को वापिस किये जाने हेतु, दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसके व कंपनियों के पूर्व से बंद एवं ब्लक खातों के करोड़ों रुपये के फर्जी चैक जारी किये एवं कंपनियों के फर्जी शेयर एलट कर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है| शिकायत में उल्लेखित आरोपों की जांच में निम्नानुसार आरोप सत्यापित पाये गये -1.शिकायतकर्ता श्री विनीत जैन, पिता- स्व. श्री धन्य कुमार जैन, निवासी- म.न.- 19, गोल्डन सिटी प्रिमा, जाटखेड़ी, भोपाल, से वर्ष 2017 में विभिन्न माईनिंग कंपनियों के मालिक एवं एल.आई.सी. के बड़े एजेंट दिलीप कुमार गुप्ता पिता रामसजीवन गुप्ता निवासी- 6-7 परिका सोसायटी, फेस-2, चूना भट्टी भोपाल के द्वारा उसकी कंपनियों/व्यवसाय में निवेश हेतु संपर्क किया गया, चूंकि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विभिन्न कंपनियों के माध्यम से छतरपुर, टीकमगढ एवं पन्ना क्षेत्र में माईनिंग का कार्य शुरू किया गया था| उनके द्वारा मौखिक रूप से श्री विनीत जैन को उक्त माईनिंग के व्यवसाय में निवेश करने पर 3-4 वर्षों में राशि को 3-4 गुना कर देने का ऑफर दिया गया था| उक्त मौखिक अनुबंध हेतु विनीत जैन द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता से एक लिखित अनुबंध किये जाने के संबंध में जोर दिया गया था, किन्तु बार-बार दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके द्वारा निवेश की गई राशि को 3-4 गुना किये जाने की उनकी व्यक्तिगत गारंटी है, एवं उनके द्वारा यह ऑफर दिया गया था कि वे विनीत जैन को उनकी कंपनियों में डायरेक्टर बना लेंगे| अत: विनीत जैन के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता पर विश्वास कर निम्नानुसार निवेश किया गया था-I.शिकायत जांच में पाया गया, कि श्री विनीत जैन एवं उनकी माताजी श्रीमती लता जैन के ज्वाईंट बचत बैंक खाता क्र. 101210100018699 (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एम.पी. नगर जोन-2 शाखा, भोपाल) से दिलीप कुमार गुप्ता के चालू बैंक खाता क्र. 910020028987530 (एक्सिस बैंक, एम.पी. नगर जोन-1 शाखा, भोपाल) में हस्तांतरित की गई निवेशित राशि का विवरण-1)दिनांक 20.06.2017 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई|2) दिनांक 23.06.2017 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख) नेट बैंकिंग (आर. टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई|3)दिनांक 28.06.2017 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई|4)दिनांक 14.09.2017 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई|5)दिनांक 16.11.2017 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 2,70,98,000/- (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख अन्ठान्वे हजार) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा स्वयं व उनकी माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 275, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एम.पी. नगर जोन-1 भोपाल से प्राप्त लोन राशि थी)|6)दिनांक 03.03.2018 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 1,45,98,800/- (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख अन्ठान्वे हजार आठ सौ) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा विनीत जैन की माताजी

श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से प्राप्त लोन राशि)|7)दिनांक 14.03.2018 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से प्राप्त लोन राशि)|8)दिनांक 20.03.2018 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से प्राप्त लोन राशि)|9)दिनांक 04.04.2018 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 50,00,000/- (रुपये पचास लाख) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से प्राप्त लोन राशि)|10)दिनांक 22.05.2018 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 32,70,000/- (रुपये बत्तीस लाख सत्तर हजार) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से प्राप्त लोन राशि)|11)दिनांक 25.05.2018 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से प्राप्त लोन राशि)|12)दिनांक 02.06.2018 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के खाते में हस्तांतरित की गई (उक्त राशि विनीत जैन के द्वारा विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से प्राप्त लोन राशि)|उपरोक्त अनुसार कुल राशि रुपये 6,89,66,800/- (छह करोड़ नवासी लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) विनीत जैन के द्वारा वर्ष 2017-18 में उनके व्यक्तिगत खाते से दिलीप कुमार गुप्ता के चालू खाते में हस्तांतरित किये जाकर निवेशित किये गये| II.विनीत जैन के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता के मौखिक अनुबंध अनुसार वर्ष 2017-18 में उपरोक्त अनुसार निवेशित की गई राशि रुपये 6,89,66,800/- (छह करोड़ नवासी लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) के निवेश के ऐवज में बतौर लाभांश वर्ष 2018 से 2020 के मध्य कुल राशि रुपये 91,00,000/- (इन्क्यान्वे लाख रुपये) मात्र दिलीप कुमार गुप्ता के चालू खाते से विनीत जैन के बचत खाते में हस्तांतरित किये गये, एवं शेष राशि व लाभांश दिये जाने हेतु समय-समय पर वहाने बनाये जाते रहे| III. दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को यह भी झांसा दिया गया था, कि वह जितने ज्यादा से ज्यादा राशि निवेश करेगा, उतना ही ज्यादा फायदा होगा| इस हेतु दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को स्वयं की संपत्तियों पर लोन लेकर भी लोन राशि के निवेश हेतु उकसाया गया एवं दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा यह आवश्वासन दिया गया कि वह स्वयं उक्त लोन ई.एम.आई. नियमित रूप से वह स्वयं भुगतान किया करेगा| इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा दिये गये झांसे में आने से विनीत जैन के द्वारा स्वयं की संपत्तियों पर भी बैंक के द्वारा ऋण लिया जाकर ऋण की संपूर्ण राशि दिलीप कुमार गुप्ता को बतौर निवेश हस्तांतरित कर दी गई थीं, उक्त संबंध में विनीत जैन की ऐसी संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) विनीत जैन व उनकी माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 275, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एम.पी. नगर जोन-1 भोपाल से प्राप्त लोन (टॉप-अप लोन) राशि- रुपये 2.75 करोड़ (दो करोड़ पिच्हत्तर लाख रुपये) में से स्टाम्प ड्यूटी व प्रोसेसिंग फीस इत्यादी

खर्चे काटने के उपरांत बची हुई लोन की रकम रुपये 2,70,98,000/- (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख अन्ठान्वे हजार) दिलीप कुमार गुप्ता को दिनांक 16.11.2017 को उसके चालू बैंक खाता क्र. 910020028987530 (एक्सिस बैंक, एम.पी. नगर जोन-1 शाखा, भोपाल) में हस्तांतरित की गई थी| जिसका उल्लेख उपरोक्त चार्ट में किया गया है|

(ख) विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- बिल्डिंग क्र. 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल के ऐवज में पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेंस लिमि. भोपाल से दिनांक 01.03.2018 को प्राप्त लोन राशि- रुपये 4,45,98,800/- (रुपये चार करोड़ पैंतालीस लाख अन्ठान्वे हजार आठ सौ) में से राशि रुपये 3,78,68,800/- (तीन करोड़ अठहत्तर लाख अड़षठ हजार आठ सौ रुपये) को भी दिलीप कुमार गुप्ता के चालू बैंक खाता क्र. 910020028987530 (एक्सिस बैंक, एम.पी. नगर जोन-1 शाखा, भोपाल) में हस्तांतरित की गई थी|

IV. उपरोक्त के अलावा विनीत जैन के द्वारा उनके व्यवसायिक चालू खाता क्र. 101211100001051 (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एम.पी. नगर जोन-2 शाखा, भोपाल) के माध्यम से भी दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी डी.जी. मिनरल्स प्रा. लि. के ऋण खाता क्र. एलबीबीएचपी0000494404 एवं एलबीबीएचपी00004944358 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक नरिमन पॉईंट मुम्बई एवं 044010200009737 एक्सिस बैंक एम.पी. नगर भोपाल में हस्तांतरित की गई थी|

1) दिनांक 30.12.2019 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 1,30,000/- (रुपये एक लाख तीस हजार) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

2) दिनांक 28.09.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 4,95,445/- (रुपये चार लाख पिंच्यान्वे हजार चार सौ पैंतालीस) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

3) दिनांक 28.09.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,54,500/- (रुपये पांच लाख चौप्पन हजार पांच सौ) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

4) दिनांक 09.10.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 52,613/- (बावन हजार छह सौ तेरह) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

5) दिनांक 23.10.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 4,96,000/- (रुपये चार लाख छियान्वे हजार) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

6) दिनांक 23.10.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,54,500/-(रुपये पांच लाख चौप्पन हजार पांच सौ) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

7) दिनांक 27.10.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 1,88,942/-(एक लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ बियालीस) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

8) दिनांक 25.11.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 52,613/- (रुपये बावन हजार छह सौ तेरह) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

9) दिनांक 27.11.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 4,95,445/-(रुपये चार लाख पिंच्यान्वे हजार चार सौ पैंतालीस) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

10) दिनांक 27.11.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,54,500/-(रुपये पांच लाख चौप्पन हजार पांच सौ) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

11) दिनांक 20.02.2021 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 52,614/- (बावन हजार छह सौ चौदह) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

12) दिनांक 23.02.2021 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 4,95,446/-(रुपये चार लाख पिंच्यान्वे हजार चार सौ छियालीस) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

13)दिनांक 30.09.2021 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 56,943/- (रुपये छप्पन हजार नौ सौ तिरतालीस) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|
14)दिनांक 30.09.2021 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 5,37,937/- (रुपये पांच लाख सैतीस हजार नौ सौ सैंतीस) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|
15)दिनांक 11.10.2021 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 2,38,500/- (रुपये दो लाख अड्तीस हजार पांच सौ) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

V. उपरोक्त के अलावा विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन के द्वारा उनके बचत खाता क्र. 10051828837 (आई.डी.एफ.सी फर्स्ट बैंक, अरेरा कालोनी, ई-3, भोपाल) के माध्यम से भी दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी डी.जी. मिनरल्स प्रा. लि. के ऋण खाता क्र. एलबीबीएचपी0000494404 एवं एलबीबीएचपी00004944358 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक नरिमन पॉईंट मुम्बई में हस्तांतरित की गई थी|
1) दिनांक 25.03.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|
2) दिनांक 25.03.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 53,765/- (रुपये तिरेपन हजार सात सौ पेंसठ) नेट बैंकिंग (नेफ्ट) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|
3) दिनांक 26.03.2020 को विनीत जैन के द्वारा राशि रुपये 3,01,321/- (तीन लाख एक हजार तीन सौ इक्कीस) नेट बैंकिंग (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से दिलीप कुमार गुप्ता के ऋण खाते में हस्तांतरित की गई|

VI. शिकायत जांच में पाया गया, कि उपरोक्त अनुसार वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के मध्य श्री विनीत जैन के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा दिये गये आश्वासन/झांसे में आकर निवेश हेतु कुल राशि रुपये 7,44,25,271/- (सात करोड़ चबालीस लाख दो सौ इक्हत्तर रुपये) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार उनके विभिन्न खातों से दिलीप कुमार गुप्ता व उनकी कंपनी के खातों में हस्तांतरित कर दिये गये थे| और अधिक निवेश की राशि को हड़पने के उद्देश्य से समय-समय पर दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा अतिरिक्त राशि मांगी जाती रही थी एवं उसके झांसे पर विश्वास करने के लिए उसके द्वारा समय-समय पर कुल राशि रुपये 91,00,000/- (इन्क्यान्वे लाख रुपये) बतौर लाभांश के विनीत जैन को वापिस भी किये गये थे, ताकि विनीत जैन उसके झांसे पर विश्वास करते हुए और अतिरिक्त राशि उसके कहे अनुसार उसे देता रहे|

VII.शिकायत जांच में पाया गया, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी की नियत से विनीत जैन की उन संपत्तियों को भी डीजी मिनरल्स कंपनी के ऐसेट्स के तौर पर यह झांसा देकर शामिल कर लिया गया, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को उक्त कंपनी में बतौर डायरेक्टर रखा गया है एवं उक्त कंपनी में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जो कि विनीत जैन की उक्त संपत्तियों पर आसानी से कंपनी के नाम पर टॉप-अप लोन लिया जा सकता है| दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उक्त संबंध में यह आश्वासन विनीत जैन को दिया गया था, कि उक्त अतिरिक्त टॉप-अप लोन की राशि को कंपनी में विनीत जैन की ओर से अतिरिक्त निवेश के रूप में जोड़ा जायेगा, जिसका लाभांश प्रथक से विनीत जैन को दिया जायेगा एवं उक्त लोन की समस्त ई.एम.आई. भी कंपनी के द्वारा ही नियमित रूप से बैंक में जमा की जावेगी| इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के झांसे में आकर पुन: विनीत जैन के द्वारा उसके परिवार की उक्त संपत्तियों को दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी डीजी मिनरल्स प्रा. लि. में बतौर कंपनी के बैंक लोन राशि को शामिल कर लिया गया, जिसके लिए विनीत जैन के द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा एम.पी. नगर जोन-1 भोपाल में दिनांक 25.03.2019 को म.न. 275 एम.पी. नगर जोन-2 भोपाल की संपत्ति के बैंक लोन को कंपनी में शामिल किये जाने की कार्यवाही संपादित की गई थी| इस तरह कंपनी में उक्त संपत्ति सम्मिलित किये जाने के उपरांत उक्त संपत्ति पर बतौर टॉप-अप लोन 1.47 करोड़ रुपये लगभग की अतिरिक्त राशि का निवेश विनीत जैन के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता के कहे अनुसार किया गया था| इसी क्रम में दिलीप कुमार गुप्ता के झांसे में आकर श्री विनीत जैन के द्वारा उनकी माताजी श्रीमती लता जैन के नाम की संपत्ति- म.न.- 162, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल को एल.आई.सी. हाउसिंग फायनेंस एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल में दिनांक 30.09.2019 के लोन को कंपनी

में शामिल किये जाने की कार्यवाही संपादित की गई थी| इस तरह कंपनी में उक्त संपत्ति सम्मिलित किये जाने के उपरांत उक्त संपत्ति पर बतौर टॉप-अप लोन 52.50 लाख रुपये लगभग की अतिरिक्त राशि का निवेश विनीत जैन के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता के कहे अनुसार किया गया था| इस तरह दोनों संपत्तियों में दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा कंपनी के नाम पर पूर्व लोन की राशि रुपये 9.15 करोड़ के अतिरिक्त ऑप-अप लोन के रूप में 2 करोड़ रुपये का लोन और लिया जाकर कुल राशि रुपये 11.15 करोड़ का लोन संपत्तियों के नाम पर लिया जाकर उक्त राशि का उपयोग कंपनी के नाम पर दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया|

VIII. शिकायत जांच में पाया गया, कि उपरोक्तानुसार दिनांक 09.07.2020 के उपरांत जब दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा कोई भी लाभांश की राशि विनीत जैन को नहीं दी गई, तो उक्त संबंध में विनीत जैन के द्वारा बार-बार दिलीप कुमार गुप्ता को लाभांश की राशि दिये जाने हेतु निवेदन किया जाता रहा, किन्तु दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा कभी कोरोना काल का और कभी व्यवसाय की परेशानियों का हवाला देते हुए उक्त दिनांक के पश्चात कोई भी लाभांश की राशि विनीत जैन को नहीं दी| इस तरह बार-बार निवेदन के उपरांत भी जब दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा लाभांश देना बंद कर दिया गया एवं बाद में फोन भी उठाना बंद कर दिया गया, तद्उपरांत विनीत जैन के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता के ऑफिस- 158, तृतीय तल, जोन-2 एम.पी. नगर, भोपाल में पहुंचकर लाभांश न दिये जाने की स्थिति में शिकायत करने संबंधी बात का उल्लेख किया गया था| तद्उपरांत दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन से लिये गये संपूर्ण राशि का हिसाब किताब किया गया एवं एक मुश्त संपूर्ण शेष राशि हेतु दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा सितम्बर 2021 में तत्समय विनीत जैन को पोस्ट डेटेड चैक क्रमांक 996556 दिनांक 16.08.2022 एक्सिस बैंक एम.पी. नगर जोन-1, भोपाल दिया गया था, जिस पर दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को दिये जाने वाली संपूर्ण शेष राशि रुपये 7,74,98,800/- (सात करोड़ चौहत्तर लाख उन्ठान्वे हजार आठ सौ रुपये) लेख किया गया था| विनीत जैन के द्वारा दिये गये उनके कथन में यह भी उल्लेखित किया गया है, कि उक्त चैक पर लिखी राशि व हस्ताक्षर उनके सामने ही दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उनकी हस्तलिखाई में लेख किया गया था| उक्त चैक दिये जाने के साथ ही दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को यह कहा गया था, कि वे उक्त राशि रुपये 7,74,98,800 /- (सात करोड़ चौहत्तर लाख उन्ठान्वे हजार आठ सौ रुपये) चैक दिनांक 16.08.2022 के पूर्व लौटा देंगे और यदि किन्हीं कारणो से नहीं लौटा सके, तो वे उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत कर दें, किन्तु बैंक में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व वे एक बार दिलीप कुमार गुप्ता को इस बावत् बता दें, ताकि वे बैंक में बैलेंस शेष रख सकें|

IX. शिकायत जांच में पाया गया, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा झूठे लीगल नोटिस भिजवाये जाकर विनीत जैन के उपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, कि विनीत जैन के द्वारा डी.जी. ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में दिनांक 15.01.2022 तक कार्य किया गया है एवं विनीत जैन के द्वारा उनकी कंपनियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाये जाने के साथ-साथ दिनांक 16.08.2022 को दिलीप कुमार गुप्ता के कुछ चैक चुरा लिये गये हैं, ताकि विनीत जैन, दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा पूर्व में दिये गये उक्त पोस्ट डेटेड चैक दिनांक 16.08.2022 को बैंक में प्रस्तुत न कर सके|

X. शिकायत जांच में पाया गया, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को पूर्व में दिये गये चैक क्रमांक 996556 दिनांक 16.08.2022 एक्सिस बैंक एम.पी. नगर जोन-1, भोपाल को विनीत जैन के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एम.पी. नगर- जोन-2, भोपाल में क्लियरिंग हेतु उनके खाते में प्रस्तुत किया गया, जो कि दिनांक 20.10.2022 को चैक बाउंस होकर वापिस प्राप्त हुआ, जिसमें चैक बाउंस होने का कारण एकाउन्ट क्लोज्ड लेख किया गया प्राप्त हुआ| इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा पूर्व नियोजित दुरूभावना से ही विनीत जैन को ऐसे बैंक खाते का पोस्ट डेटेड चैक दिया गया, जिसे उसके द्वारा पहले ही बंद किया जा चुका है, इस तरह उक्त कूटरचित चैक को दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा सुनियोजित षडयंत्र के तहत् धोखाधड़ी की नियत से कूटरचित चैक राशि रुपये 7,74,98,800/- का जारी किया जाना कूटरचित दस्तावेज बनाया जाना पाया गया है|

XI. शिकायत जांच में पाया गया, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा अवैधानिक तरीके से न सिर्फ विनीत जैन के विरूद्ध छूठे आरोप लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा था, अपितु विनीत जैन के नाम पर दिलीप कुमार गुप्ता

के द्वारा दिनांक 01.11.2022 को टाइपशुदा उनके हस्ताक्षर से लेख किया गया एक पत्र प्राप्त हुआ था| उक्त पत्र में दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा छल किये जाने की नियत से यह लेख किया गया, कि डीजी मिनरल्स प्रा. लि. में वर्ष 2018 में विनीत जैन की माताजी व सासु मां को दिये गये क्रमश: 2 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत शेयरों (कुल 5000 शेयर) की कीमत कुल राशि रुपये 6,48,60,058/- (छ: करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार अन्ठावन रुपये) थी, जबकि कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन एवं आर्टिकल ऑफ एसोशिएसन में तत्समय उल्लेखित शेयरों की कीमत 10 रुपये प्रति शेयर उल्लेख किया गया था एवं अन्य शेयर धारकों को भी उसी दर पर शेयर अलॉट किये गये थे|उक्त संबंध में शिकायत जांच के दौरान एक अन्यॉ निवेशक श्री समीर गुप्ताि के द्वारालिखित में पत्र के माध्ययम से जानकारी व शेयर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुयत की गई है, कि उन्हें् भी तत्सामय वर्ष 2018-2019 में दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा 10 रुपये प्रति शेयर की दर से उन्हें डीजी मिनरल्सन प्रा.लि. एवं श्री मां सीमेंटेक प्रा.लि. में शेयर अलॉट किये गये थे। इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा श्रीमती लता जैन, श्रीमती श्रृद्धा जैन एवं श्री विनीत जैन को लेख किये गये, स्वहस्ताक्षरित पत्र में उल्लेखित 10 रुपये प्रति शेयर के स्थान पर लगभग रुपये 12,972/- प्रति शेयर की दर से करोड़ो रुपयों के शेयर दर्शाते हुए एक कूटरचित प्रतिभूति (शेयर अलॉटमेंट) के दस्तावेज तैयार करना व धोखाधड़ी की नियत से उपयोग किया जाना पाया गया है|

XII.शिकायत जांच में पाया गया, कि पूर्व में दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा दिनांक 01.11.2022 को उनके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र श्री विनीत जैन एवं उनकी माताजी श्रीमती लता जैन एवं उनकी सासू मां श्रीमती श्रृद्धा जैन को प्रथक-प्रथक पत्र डाक के माध्यम से भेजे गये, जिसमें की दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा यह उल्लेख किया गया है, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा दिनांक 12.07.2018 को राशि रुपये 6,48,60,058/- (छह करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार अन्ठावन रुपये) की कीमत के डीजी मिनरल्स प्रा. लि. कंपनी के 2 प्रतिशत शेयर विनीत जैन की माताजी को एवं 0.5 प्रतिशत विनीत जैन की सासू मां को प्रदाय किये जाने संबंधी लेख किया गया है, जबकि वास्तविकता में कंपनी के द्वारा उक्त दिनांक को ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया था, अपितु डीजी मिनरल्स प्रा. लि. कंपनी की दिनांक 03.09.2018 की बोर्ड की मीटिंग में कुल 7 व्यक्तियों को राशि 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुल 37,500/- शेयर दिये गये थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उक्त कंपनी में दिनांक 12.07.2018 को 10 रुपये प्रति शेयर की दर से श्रीमती लता जैन को 4000 शेयर आवंटित किये गये थे|

2) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उक्त कंपनी में दिनांक 12.07.2018 को 10 रुपये प्रति शेयर की दर से श्रीमती श्रृद्धा जैन को 1000 शेयर आवंटित किये गये थे|

3) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उक्त कंपनी में दिनांक 12.07.2018 को 10 रुपये प्रति शेयर की दर से श्रीमती श्रृद्धा जैन को 1000 शेयर आवंटित किये गये थे|

4) उक्त बोर्ड मीटिंग में दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा इसी क्रम में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से अन्य व्यक्तियों क्रमश: श्री महेश सिंह को 5000 शेयर, श्री रोहित सिंह चौहान को 10000 शेयर, श्री मुनीश सिंह मीना को 9000 शेयर, श्री समीर गुप्ता को 6500 शेयर एवं श्री राहुल सोनी को 2000 शेयर आवंटित किये गये थे|

इस तरह दिनांक 12.07.2018 को दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसके डीजी मिनरल्स प्रा. लि. कंपनी के 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुल 4,000 शेयर विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन को एवं 1000 शेयर विनीत जैन की सासू मां श्रीमती श्रृद्धा जैन को प्रदाय किये थे, जिसका उल्लेख कंपनी के मीटिंग मीनिट्स दिनांक 03.09.2018 के शांम 5:00 बजे किया गया था, जिस पर तत्समय विनीत जैन के बतौर डायरेक्टर हस्ताक्षर भी थे| उक्त मीटिंग मीनिट्स में विनीत जैन के अलावा बतौर चैयरमेन दिलीप कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर, बतौर डायरेक्टर श्री मुनीष कुमार मीना, श्री रोहित सिंह चौहान एवं श्री अजीत कुमार के हस्ताक्षर किये गये थे|

इस तरह 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कुल राशि रुपये 40,000/- (चालीस हजार) के शेयर विनीत जैन की माताजी को एवं कुल राशि रुपये 10,000/- (दस हजार) के शेयर विनीत जैन की सासु मां को दिये गये

थे|

XIII. शिकायत जांच में पाया गया, कि वर्ष 2022 में जब अनेकों प्रयासों के बाद भी जब दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को निवेशित राशि का लाभांश एवं शेयर नहीं दिये जा रहे थे, तब विनीत जैन के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता पर जब पूर्ण निवेशित राशि वापिस किये जाने हेतु दबाव बनाया गया, तब दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उनकी कंपनी डीजी मिनरल्स प्रा. लि. का एक चैक दिनांक 06.01.2022 को उनके खाता क्र. 916020004059031 एक्सिस बैंक एम.पी. नगर जोन-1, भोपाल चैक क्र. 928698 दिनांक 20.03.2023 (पोस्ट डेटेड चैक) राशि रुपये 13,00,00,000/- का जारी किया गया, उक्त चैक पर विनीत जैन का नाम राशि व दिनांक का उल्लेख टाईपिंग/प्रिंटिंग के माध्यम से किया गया एवं मूल हस्ताक्षर दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा स्वयं किये गये थे|

XIV. शिकायत जांच में पाया गया, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा दिये गये उपरोक्त लिखित पोस्ट डेटेड चैक को विनीत जैन के द्वारा दिनांक 21.03.2023 को उनके यूनियन बैंक खाता क्र. 101211100001051 को क्लियरिंग हेतु लगाया गया, किन्तु दिनांक 23.03.2023 को यूनियन बैंक के द्वारा दिये गये चैक रिटर्न मेमो में चैक बाउंस होने का कारण एकाउन्ट ब्लॉक होना उल्लेखित था, साथ ही दिलीप कुमार गुप्ता के बैंक खाते में उक्त दिनांक में राशि मात्र रुपये 1,76,441/- (एक लाख छहत्तर हजार चार सौ इक्तालीस रुपये) शेष थी| इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा षडयंत्र के तहत विनीत जैन को झांसे में लेकर कारोड़ों रुपयों की राशि प्राप्त की एवं रकम वापिस मांगने के समय दिनांक 06.01.2022 को ऐसे खाते का पोस्ट डेटेड चैक दिया गया, जो खाता दिनांक 22.01.2021 से ही ब्लॉक था| इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी की नियत से विनीत जैन को 13 करोड़ का ऐसा चैक प्रदाय किया गया, जो की कभी क्लियर होना ही नहीं था| इस तरह पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी कंपनी के ब्लॉक खाते का चैक विनीत जैन को धोखाधड़ी की नियत से जारी किया जाना पाया गया है|

XV. शिकायत जांच के दौरान दिलीप कुमार गुप्ता व उसकी विभिन्न कंपनियों के डायरेक्टर व पदाधिकारियों व सहयोगियों से जानकारी प्राप्त किये जाने एवं कथन हेतु कई बार पत्राचार किये जाने के उपरांत भी साशय दिलीप कुमार गुप्ता व उसके सहयोगियों के द्वारा जानबूझकर जांचकर्ता के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं पत्र के माध्यम से भी दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा अधूरी जानकारी भेजी जा रही है और न ही वांछित दस्तावेज व जानकारियां प्रदाय कर रहे हैं, जिससे उनके द्वारा किये गये अपराधों का संशय भी स्थापित होता है| अनावेदकों के कथनों/पूछताछ के अभाव में शिकायत जांच के दौरान एकत्रित जानकारी व दस्तावेजों के आधार पर भी दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन के साथ की गई धोखाधड़ी सत्यापित पायी गई है|

XVI. शिकायत जांच में पाया गया, कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन की निवेशित राशि के ऐवज में श्री विनीत जैन को दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनियों क्रमशः- (1) डीजी मिनरल्स प्रा. लि., (2) डीजी माईनिंग प्रा. लि., (3) श्री मां माईनिंग एण्ड मिनरल्स प्रा. लि., (4) डीजी ग्रुप इंडिया प्रा. लि., (5) श्री मां सीमेंटेक प्रा. लि. एवं (6) दिलीप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. में वर्ष 2017-18 में बतौर डायरेक्टर शामिल कर लिया गया था| तत्समय वर्ष 2017-18 में प्रत्येक कंपनियों की अनुमानित कीमत लगभग रुपये 50 लाख हुआ करती थी| उक्त 06 कंपनियों में से 05 कंपनियों में दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को झांसे में लिये जाने हेतु विनीत जैन की माताजी एवं एवं सासुमां के नाम पर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से निम्नानुसार शेयर अलॉट किये गये थे-

1) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी कंपनी डीजी माईनिंग प्रा. लि. में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन को वर्ष 2019 में कुल 4992 शेयर्स एवं विनीत जैन की सासु मां श्रीमती श्रद्धा जैन को वर्ष 2019 में कुल 1248 शेयर्स आवंटित किये गये थे|

2) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी कंपनी दिलीप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन को वर्ष 2021 में कुल 20000 शेयर्स एवं विनीत जैन की सासु मां श्रीमती श्रद्धा जैन को वर्ष 2021 में कुल 5000 शेयर्स आवंटित किये गये थे|

3) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी कंपनी श्री मां सीमेंटेक प्रा. लि. में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से

विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन को वर्ष 2019 में कुल 4000 शेयर्स एवं विनीत जैन की सासु मां श्रीमती श्रृद्धा जैन को वर्ष 2019 में कुल 1000 शेयर्स आवंटित किये गये थे|

4) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी कंपनी श्री मां माईनिंग एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन को वर्ष 2019 में कुल 4000 शेयर्स एवं विनीत जैन की सासु मां श्रीमती श्रृद्धा जैन को वर्ष 2019 में कुल 1000 शेयर्स आवंटित किये गये थे|

5) दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी कंपनी डीजी मिनरल्स प्रा. लि. में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से विनीत जैन की माताजी श्रीमती लता जैन को वर्ष 2019 में कुल 4000 शेयर्स एवं विनीत जैन की सासु मां श्रीमती श्रृद्धा जैन को वर्ष 2019 में कुल 1000 शेयर्स आवंटित किये गये थे|

XVII. उपरोक्त अनुसार दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उसकी 05 कंपनियों में कुल 46,240 शेयर्स विनीत जैन की माताजी एवं सासुमां को दिये गये थे एवं बाद में आज दिनांक तक विनीत जैन को न ही उक्त शेयरों के ऐवज में कोई राशि प्रदाय की गई और न ही निवेश की राशि अथवा उसका कोई लाभांश दिया जाना पाया गया है|

शिकायत जांच में पाया गया, कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में निवेश को लेकर वाद-विवाद की स्थिति में दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन से उक्त कंपनी में दिनांक 06.01.2022 को डायरेक्टरशिप छोड़े जाने हेतु कंपनी की अनुमानित कीमत लगभग राशि रुपये 250 करोड़ के ऐवज में विनीत जैन को दिनांक 06.01.2022 को राशि रुपये 13 करोड़ का चैक उपरोक्तानुसार प्रदाय किया गया था, साथ ही यह भी वादा किया गया था, कि शीघ्र ही विनीत जैन की समस्त संपत्तियों के लोन चुकाकर संपत्ति भी विनीत जैन को वापिस कर दी जावेगी, जो कि दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा विनीत जैन को आज दिनांक तक वापिस नहीं की गई है और न ही चैक के माध्यम से प्रदाय की गई राशि रुपये 13 करोड़ कभी विनीत जैन को प्राप्त हुई है| विनीत जैन की पारिवारिक संपत्तियों के ऐवज में लोन लिया जाकर उक्त लोन की राशि एवं संपत्ति दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी डीजी मिनरल्स प्रा. लि. में बंधक रखी गई है, जिसमें लोन न चुकाये जाने की स्थिति में बैंक के अनुसार नियमित ब्याज राशि बढ़ती चली जा रही है, उक्त लोन न चुकाये जाने की स्थिति में बैंक के लोन व ब्याज की संपूर्ण बकाया राशि, विनीत जैन व उनके परिवारजनों की उक्त दोनों संपत्तियों व परिवारजनों की अन्य संपत्तियों से भी वसूली जा सकती है| इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा की गई धोखाधड़ी से विनीत जैन को हुई हानि का अनुमान व वास्तविक हानि की राशि की गणना अपराध पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत विवेचना के दौरान की जा सकती है|

इस तरह उपरोक्त अनुसार दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत् धोखाधड़ी की नियत से विनीत जैन को दिये गये राशि रुपये 7,74,98,800 का बाउंस चैक (पूर्व से बंद खाते का कूटरचित चैक) एवं राशि रुपये 13,00,00,000/- का बाउंस चैक (पूर्व से ब्लॉक खाते का चैक) की राशि, जो आज दिनांक तक विनीत जैन को अप्राप्त हैं, एवं विनीत जैन के परिवार की दोनों संपत्तियां (जो कि डीजी मिनरल्स प्रा. लि. कंपनी के बैंक लोन में बतौर बंधक संपत्ति है) की हानि कारित की गई है| इस तरह दिलीप कुमार गुप्ता के द्वारा उपरोक्त उल्लेखित दोनों बाउंस चैकों की कुल लगभग 20.75 करोड़ की राशि एवं उक्त दोनों संपत्तियों पर बैंक लोन की बकाया राशि लगभग 15 करोड़ रुपये है, को मिलाकर लगभग कुल राशि रुपये 35.75 करोड़ की धोखाधड़ी कारित किये जाने के संबंध में आरोप सत्यापित पाये जाते हैं|

अत:अनावेदकों क्रमश: (1) दिलीप कुमार गुप्ता पिता रामसजीवन गुप्ता निवासी- 6-7 परिका सोसायटी, फेस-2, चूना भट्टी भोपाल (2) दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी- डीजी मिनरल्स प्रा. लि. (द्वारा निदेशक), (3) दिलीप कुमार गुप्ता की कंपनी- श्री मां सीमेंटेक प्रा. लि. पता- एम.पी. नगर, भोपाल (द्वारा निदेशक) व (4) अन्य के विरूद्ध धारा- 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु शून्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत है|

(अतुल चौबे)
उप पुलिस अधीक्षक (का.वा.)
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ,
इकाई, भोपाल
हस्ताक्षर श्री अतुल चौबे, उ.पु.अ(का.वा.), जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई भोपाल म.प्र.। शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वार्णित आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 144/2025, दिनांक 09/10/2025 धारा- 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) **or (या)**

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Atul Choubey
No.(सं.):
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):DR DINESH JOSHI
Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police
No.(सं.): 12345

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))